न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2017 G.C.M.S. No. 2017/00473 दर्ज दिनांक : 19.12.2017

अपीलार्थिगणः

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. रामसिंह पुत्र होसाजी
2. नारायणसिंह पुत्र होसाजी
3. हडमतसिंह पुत्र प्रागाजी
4. भवानीसिंह पुत्र प्रागाजी
5. नरपतसिंह पुत्र प्रागाजी
6. महेन्द्रसिंह पुत्र प्रागाजी
7. वरदाजी पुत्र रूगनाथजी
8. भंवरसिंह पुत्र रतनाजी
9. अरविंदसिंह पुत्र रतनाजी
10. भरतसिंह पुत्र रतनाजी
11. विशनसिंह पुत्र मोमताजी
12. सुरेश पुत्र मोमताजी, तमाम जातियान पुरोहित, निवासीगण सांकरणा, तहसील आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर राजस्व वाद संख्या 28/2013 बअनवान रामसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. सरकारी पैरोकार, अपीलांट।
2. श्री चेनाराम पटेल, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 12.12.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा सहायक कलक्टर आहोर के राजस्व वाद संख्या 28/2013 बअनवान रामसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा सांकरणा, तहसील आहोर के पुराने खसरा संख्या 369 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही तृतीय तथा खसरा संख्या 370 रकबा 5 बिस्वा कुल रकबा 21 बीघा, जिसके वर्तमान खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

682 सृजित हुए हैं, के संबंध में खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 369 व 370 कुल रकबा 21 बीघा प्रथम सेटलमेंट में रूगनाथा, लच्छु, हांसा पि. टीकमा के नाम से खातेदारी दर्ज हुई थीं। प्रथम सेटलमेंट मिसल बंदोबस्त संवत 2021 से 2028 में दर्ज है। यह खातेदारी वर्तमान सेटलमेंट होने से पहले अंतिम जमाबंदी संवत 2032 से 2036 में खातेदार के नाम दर्ज है। खातेदार रूगनाथा एवं उसके वारिसान वादी संख्या 7 लच्छु भी फौत हो गये हैं। इसी तरह होसाजी भी फौत हो गए हैं, उनके वारिसान वादीगण है। जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा व शेष वादीगण का 1/2 हिस्सा है। मौके पर कब्जाकाश्त भी वादीगण का बहैसियत खातेदार का है। वर्तमान सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आधार के वादीगण की खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन नदी खसरा संख्या 682 में दर्ज कर दी। जबकि सेटलमेंट को खातेदारी हटाने का कोई अधिकार नहीं हैं। द्वितीय सेटलमेंट सन 1981–82 में प्रारंभ हुआ था। सेटलमेंट कर्मचारियों को केवल अधिकतम पुरानी जमाबंदी के अनुसार खाते में नाम इन्द्राज करने का कार्य करना था, किन्तु उक्त भूमि नदी में दर्ज कर दी। रेस्पोंडेंट द्वारा किए गए उक्त कथन पूर्णतया विधिविरूद्ध एवं न्याय के मूलभूत सिद्धांतों से परे हैं। चूंकि प्रथम सेटलमेंट में उक्त आराजी नदी दर्ज है एवं बाद में आवंटन के जरिये खातेदारी अधिकार नदी में प्रदान किये गये थें। उक्त भूमि नदी के समीन होने पर द्वितीय सेटलमेंट कर्मचारियों ने भी पुनः गै.मु. नदी दर्ज की हैं। मौके पर किसी का कब्जा काश्त नहीं हैं, यदि होता तो सरकार द्वारा 91 की कार्यवाही की जाती, परंतु ऐसा नहीं हैं। उक्त भूमि पर नदी चलती हैं। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अनवान प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान दिनांक 02.08.2004 में यह निर्णय पारित किया गया है कि यदि भूमि नदी, नाला, तालाब, ओरण, गोचर, नाड़ी हो तो ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर ही नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट की ओर से जवाब पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने उक्त भूमि नदी होना जाहिर किया एवं उक्त भूमि के संबंधित दस्तावेज पेश किये थें तथा सरकारी खाते की भूमि गैर मुमकिन नदी में दर्ज होने के पश्चात किसी को भी खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमि प्रतिबंधित हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट को दावा पेश करने से पूर्व वादीगण की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थीं तथा धारा 80 सीपीसी के तहत दावा पेश करने से पूर्व नोटिस दिया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-बालोतरा

न्यायहित में आवश्यक था। परंतु वादीगण ने अपीलांट को बिना जानकारी दिये उक्त दावा प्रस्तुत किया है तथा वादीगण को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रावधानों के तहत कानूनन बाधित होने से प्रथमदृष्टया ही वादी का वाद खारिज योग्य था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों की अवहेलना कर निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोंडेंट्स दिनांक 18.12.2017 को नामांतरण बाबत कार्यालय आकर अपीलाधीन निर्णय की कॉपी दी, जिससे अपीलांट को जानकारी हुई तथा दिनांक 18.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय से नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली की गई। हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2016 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 19.12.2017 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा म्याद के संबंध में शपथपत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया है कि वादीगण रेस्पोंडेंट्स दिनांक 18.12.2017 को नामांतरण बाबत कार्यालय आकर अपीलाधीन निर्णय की कॉपी दी, जिससे अपीलांट को जानकारी हुई तथा दिनांक 18.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय से नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा लिखित बहस में यह निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की हैं तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विलंबकाल माफ नहीं किया जावें तथा अपील अपीलांट म्याद के बिंदु पर खारिज की जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 09.12.2016 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30.12.2016 को नियत की गई। लेकिन आदेशिका से यह स्पष्ट नहीं हैं कि सरकार की ओर से जब प्रकरण में बतौर प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर

गवाह पटवारी के उपस्थित होने एवं उनके बयान कलमबद्ध करने का अंकन है। पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के संबंध में कोई अंकन नहीं हैं, तो दिनांक 09.12.2016 को उभयपक्ष की बहस सुना जाना कैसे संभव है। अतः यह स्पष्ट है कि पैरोकार सरकार को प्रकरण में दिनांक 09.12.2016 को बहस होने एवं दिनांक 30.12.2016 को निर्णय व डिक्री पारित होने बाबत कोई जानकारी नहीं थीं। यह उल्लेखनीय है कि हल्का पटवारी प्रतिवादी साक्ष्य हो सकता है लेकिन वह पैरोकार सरकार या प्रतिवादी सरकार नहीं माना जा सकता। अतः प्रकरण में पैरोकार सरकार या भूमिधारी तहसीलदार की उपस्थिति भी नहीं रहीं तो निर्णय दिनांक को अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होना सहज रूप से विश्वास योग्य है तथा इस संबंध में रेस्पोंडेंट द्वारा भी कोई तथ्य एवं दस्तावेजात आदि पेश नहीं किए हैं। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अपीलांट को रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के नामांतरण हेतु पेश करने की दिनांक अर्थात 18.12.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई हैं, साथ ही हमारा यह भी विनम्र मत है कि प्रकरण को कठोर प्रक्रियागत तकनीकी आधार पर निर्णीत करने के बजाय उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए। लिहाजा, अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब सद्भाविक एवं तर्कसंगत होने से विलंबकाल माफ योग्य है। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अपीलांट का मुख्य उज्र यह है कि वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा संख्या 369 व 370 कुल रकबा 21 बीघा प्रथम सेटलमेंट में नदी दर्ज है, बाद में आवंटन के जरिये खातेदारी अधिकार दिए गए। उक्त भूमि नदी के समीप होने से द्वितीय सेटलमेंट में पुनः नदी दर्ज की गई, जिसमें रेस्पोंडेंट का कब्जाकाश्त नहीं हैं। उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होकर अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण के निर्णय अनुसार खातेदारी योग्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना एवं प्रकरण में साक्ष्य–सबूत एवं दस्तावेज को न देखकर अपीलांट की गैर–मौजूदगी में विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो काबिल खारिज है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दावा बाबत हक खातेदारी, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा संख्या 369, 370 वर्तमान खसरा संख्या 682 कुल रकबा 5.02 हैक्टेयर में से रकबा 3.40 हैक्टेयर में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.03.2013 को दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 30.12.2016 को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई।

6. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 26.12.2016 को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत रहकर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर आगामी दिनांक 29.12.2016 को प्रतिवादी साक्ष्य में नियत किया गया तथा दिनांक 29.12.2016 को प्रतिवादी शहादत में गवाह श्री अर्जुनकुमार पटवारी हल्का सांकरणा के उपस्थित होने, उनके बयान कलमबद्ध किए जाकर शामिल मिसल किए जाने तथा दीगर शहादत पेश नहीं करना चाहने से शहादत प्रतिवादी बंद की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.12.2016 को नियत किए जाने एवं दिनांक 30.12.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए जाने का अंकन है। इस संबंध में हमारा यह विनम्र मत है कि पटवारी को पैरोकार सरकार या प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में दिनांक 29.12.2016 को जबकि प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में हल्का पटवारी उपस्थित हुआ तथा उसके बयान कलमबद्ध किए गए तथा पटवारी के कहने पर कि प्रतिवादी और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं, के आधार पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाना विधिसंगत एवं उचित नहीं माना जा सकता। जब दिनांक 29.12.2016 को प्रतिवादी अपीलांट या पैरोकार सरकार उपस्थित ही नहीं हैं तो उनकी ओर से उनके निवेदन के आधार पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद कैसे की जा सकती हैं ? साथ ही ऐसी स्थिति में उभयपक्ष की बहस संपादित होना व ऐसी बहस सुना जाना संभव नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी सरकार को प्रकरण में साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर नहीं मिला, जोकि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की आवश्यक पूर्व शर्त है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक तो विरचित किए गए परंतु विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं कारण सहित विनिश्चय के साथ निर्णयन नहीं किया गया। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में स्पष्ट आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी को विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं कारण सहित विनिश्चय के साथ निर्णयन किया जाना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का समर्थन किया जाना संभव नहीं हैं।

8. यह बात सही है कि भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियों को खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने या खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं, लेकिन राजस्थान भू–राजस्व (सर्वे अभिलेख तथा बंदोबस्त) (सरकारी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

नियम 1957 के नियम 150 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारियों को भूमि की उपयोगिता के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करने का अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई विवेचन एवं टिप्पणी नहीं की हैं। जोकि प्रकरण में आवश्यक एवं अपेक्षित है तथा इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त विधिक विवाद्यक भी विरचित किया जाना चाहिए था, जिसका अभाव रहा। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का समर्थन किया जाना संभव नहीं हैं।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल पुष्टि नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णयन हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर के राजस्व वाद संख्या 28/2013 बअनवान रामसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में एक अतिरिक्त विवाद्यक– "आया बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान बंदोबस्त अधिकारियों को भूमि की उपयोगिता के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करने अर्थात किस्म निर्धारण एवं परिवर्तन करने का अधिकार होने से द्वितीय बंदोबस्त के दौरान भूमि की किस्म गैर–मुमकिन नदी सही दर्ज की हैं, जिसे वादीगण पुनः चाही–।।। दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं हैं ? – जिम्मे प्रतिवादी " विरचित करते हुए प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित एवं तर्कसंगत अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन कर प्रकरण में विधिनुरूप पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली